


पत्रावली चेप्रा हुई वकील पदमकरान उपस्थित
पत्रावली का अवलोकन किया गया अवलोकन
करने पर जाहिर हुआ कि इन्हीं प्रकरणों
से संबंधित चाद मामलीय वरिष्ठ सीविल
न्यायाधीश न्यायालय मॉन्ट्रोल में अज्ञकार
है इस न्यायालय द्वारा मूलवाद को
वरिष्ठ सीविल न्यायालय के निर्णय
तक स्टोप किया गया है जब मूलवाद
की स्टोप ले गया ले तो इस प्रथमा
पत्र को अज्ञकार खवने का कोई
औचित्य नहीं रह जाता है।

अतः इस प्रथमा - पत्र को न्यायालय
वरिष्ठ सीविल न्यायाधीश मॉन्ट्रोल के
वाद के निर्णय तक स्टोप किया जाता
है।

निर्णय आज दिनांक 7-9-2021 को सरे-
अलास सुनाया गया।


उप सज्ज अधिकारी
मॉन्ट्रोल जिला बारी (राज्य)